

## न्यायालय तहसीलदार राजगढ़ जिला अलवर (राजस्थान)

प्रकरणं स0 07/2020

प्रवेश तिथि 18.06.2020

निर्णय दिनांक 20.09.2021

उनवान

G.C.M.S NO

2020

1.राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का कूण्डला तहसील राजगढ़ जिला अलवर 800/17

बनाम

1.सन्तोषसिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी भाटी हाउस बस स्टेण्ड के सामने मनोहरपुरा जगतपुरा जयपुर राज0

आज पत्रावली पेश हुई प्रकरण का संक्षेप में वृत्तान्त निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का कुण्डला द्वारा ग्राम कुण्डला आ0ख0न0 44/1483 रकबा 0.125 हे0 भूमि किस्म बंजड़ खातेदारी भूमि में गैर सायल सन्तोषसिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी भाटी हाउस बस स्टेण्ड के सामने मनोहरपुरा जगतपुरा जयपुर द्वारा 0.125 हे0 पर रिसोर्ट निर्माण कर व्यवसाहिक प्रयोजनार्थ बिना रूपान्तरण कराये उपयोग किये जाने पर पटवारी हल्का द्वारा एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 90 ए के तहत रिपोर्ट पेश करने पर रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल को भूमि रूपान्तरण हेतु समय दिया गया, रूपान्तरण नहीं कराये जाने पर कार्यवाही अम्ल में लाई जाती है। पटवारी हल्का रिपोर्ट का अवलोकन एवं मनन किया गया गैर सायल के द्वारा बिना सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि में परिवर्तन कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए का उल्लघन किया है। गैर सायल द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं करने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं पाया गया।

अतः सन्तोषसिंह पुत्र जगदीश सिंह जाति राजपूत निवासी भाटी हाउस बस स्टेण्ड के सामने मनोहरपुरा जगतपुरा जयपुर के विरुद्ध बिना स्वीकृति के ग्राम कुण्डला के आ0ख0न0 44/1483 /0.125 हे0 भूमि पर व्यवसाहिक(रिसोर्ट) गतिविधि उपयोग करने पर राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90ए सपटित धारा 91 के अन्तर्गत बेदखल कर सरह लगान का 0.25(पूर्णांक 1) का 50 गुणा 50 रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। वसुली एवं कायमी हेतु पटवारी हल्का व तहसील राजस्व लेखाकार को लिखा जावे। गैर सायल को यह कृत्य कृषि भूमि को अकृषि भूमि में बिना सक्षम स्वीकृति उपयोग कर लेने पर खातेदारी भूमि की शर्तों के उल्लघन की श्रेणी में आता है। कृषि शर्तों का उल्लघन किये जाने के कारण राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अन्तर्गत सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावे। पत्रावली फ़ैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

आज दिनांक 20.09.2021 को लिखा जाकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर किये गये निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा. ले. स. 4 वर्ष 2021-22  
के पृष्ठ संख्या...11...प.सं...904 प. 50/-  
राशि कायम किये गये।  
-पि.सं. 6  
त. रा. ले. स. नं. 4

तहसीलदार  
राजगढ़ जिला अलवर  
राजगढ़ (अलवर)